राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः 11 (2) 16/मो./आईसीडीएस/APR/2018–19 196797-829 जयपुर, दिनांक 13/11/2018

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त।

विषयः– बेबी मिक्स, गरम पौषाहार व नाश्ता वितरण मात्रा परियोजनावार भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के पत्रांक 04.10.2018 द्वारा जिले में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों मे से वास्तविक लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह द्वारा बेबी मिक्स, गरम पौषाहार व नाश्ता वितरण की सूचना विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण वर्ष 2018–19 में अंकित करने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र में परियोजनावार माह 1 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च 2018 तक व 1 अप्रेल 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक की अवधि में अलग–अलग प्रपत्रों में संकलित कर सूचना भिजवाने के निर्देश दिये गये थे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत लाभार्थियों मे से वास्तविक लाभार्थियों की संख्या एवं श्रेणीवार पौषाहार वितरण की माह 1 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च 2018 तक व 1 अप्रेल 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक जिसमें माह 30 नवम्बर 2018 तक की अवधि का पौषाहार वितरण की मात्रा अनुमानित मानते हुए परियोजनावार अलग–अलग निर्धारित प्रपत्रों में संकलित सूचना दिनांक 28.11.2018 तक विभाग की ई–मेल आईडी jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विलम्ब के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

निदेशक

समेकित बाल विकास, सेवाएँ

राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः 11 (2) 16/मो./आईसीडीएस/APR/2018–19 196830-7134 जयपुर, दिनांक 13/11/2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण हेतु आवश्यक सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर उपनिदेशक कार्यालय को दिनांक 20 नवम्बर तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

समेकित बाल विकास, सेवाएँ